

जिला गजट



झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

समाहर्ता द्वारा निकाले गये भू-अर्जन संबंधी अधिसूचनाएँ, अधिघोषणाएँ एवं स्थानीय सूचनाएँ

साधारण अंक संख्या- 67	बोकारो मंगलवार	25.06.2019
1. अधिसूचनाएँ	1-3
2. भू-अर्जन संबंधी अधिघोषणाएँ
3. स्थानीय सूचनाएँ आदि

प्रपत्र VI 'क'

झारखण्ड सरकार

समाहर्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

पत्रांक : 759/भू0अ0

दिनांक : 29.08.2018

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्रामरानीपोखर... थानाहरला.... थाना सं020... अंचलचास... जिलाबोकारो.... में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना ... पथ प्रमण्डल, बोकारो अन्तर्गत चन्द्रपुरा से बोकारो (चन्द्रपुरा-बोकारो के बीच दामोदर नदी पर निर्मित पुल का पहुँच पथ).... हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्रामरानीपोखर... थानाहरला.... थाना सं020... अंचलचास... जिलाबोकारो.... में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए क्मोवेश1.3800.... एकड़ यानि0.5587... हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है

क्र0 सं0	खाता सं0	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	371	2803	नीज	कृषि	0.3500	सुनीता देवी, पति- आलोक कुमार गुप्ता वो सुन्दर लाल कोईरी पिता- गोवर्धन कोईरी वो महेश प्रसाद महतो दिगर वो करमु महतो वो कालीपद कुम्हार पिता- अधनु कुम्हार वो गोपाल कुमार पाल पिता- रतन कुम्हार वो वासुदेव कुमार वगै0 पिता- सोनाराम कुम्हार वो नारायण कुमार वगै0 पिता- दिनु कुम्हार वो रूपु कुम्हार पिता- नागु	2826 2830	2804	2823 2804	2803

						कुम्हार वो अनन्त कुमार वगै० पिता- सहदेव कुम्हार वो शंकर कुम्हार पिता- ठाकुर कुम्हार वो बिल्लु देवी वगैरह माता अवतारो देवी				
2	371	2804	नीज	आवासीय	0.6600	सुनीता देवी, पति- आलोक कुमार गुप्ता वो सुन्दर लाल कोईरी पिता- गोवर्धन कोईरी वो महेश प्रसाद महतो दिगर वो करमु महतो वो कालीपद कुम्हार पिता- अधनु कुम्हार वो गोपाल कुमार पाल पिता- रतन कुम्हार वो वासुदेव कुमार वगै० पिता- सोनाराम कुम्हार वो नारायण कुमार वगै०पिता- दिनु कुम्हार वो रूपु कुम्हार पिता- नागु कुम्हार वो अनन्त कुमार वगै० पिता- सहदेव कुम्हार वो शंकर कुम्हार पिता- ठाकुर कुम्हार वो लिल्लु देवी वगैरह माता अवतारो देवी	2803	2805	2823 2807	2803
3	371	2823	नीज	कृषि	0.1900	सुनीता देवी, पति- आलोक कुमार गुप्ता वो सुन्दर लाल कोईरी पिता- गोवर्धन कोईरी वो महेश प्रसाद महतो दिगर वो करमु महतो वो कालीपद कुम्हार पिता- अधनु कुम्हार वो गोपाल कुमार पाल पिता- रतन कुम्हार वो वासुदेव कुमार वगै० पिता- सोनाराम कुम्हार वो नारायण कुमार वगै०पिता- दिनु कुम्हार वो रूपु कुम्हार पिता- नागु कुम्हार वो अनन्त कुमार वगै० पिता- सहदेव कुम्हार वो शंकर कुम्हार पिता- ठाकुर कुम्हार वो लिल्लु देवी वगैरह माता अवतारो देवी	2825	2807	2822 2824 2807	2803 2804
4	115	2807	नीज	कृषि	0.0300	जोती लाल मांझी वगैरह पिता- स्व० चेतलाल मांझी वो बिरबल मांझी वगैरह पिता- लोसे मांझी वो सावित्री देवी पति- लोबिन मांझी वो शंकर मांझी पिता- हरि मांझी वो जितेन्द्र मांझी वगैरह पिता- बिरबल मांझी वो दुर्गा प्रसाद मांझी वगैरह पिता- मोती लाल मांझी वो टिकाराम मांझी पिता- भादो मांझी वो सर्वेश्वर मांझी वगैरह पिता- लालु मांझी वो पार्वती देवी पति- शंकर मांझी	2822 2823	2806	2807	2804
5	115	2822	नीज	कृषि	0.1500	जोती लाल मांझी वगैरह पिता- स्व० चेतलाल मांझी वो बिरबल मांझी वगैरह पिता- लोसे मांझी वो सावित्री देवी पति- लोबिन मांझी वो शंकर मांझी पिता- हरि मांझी वो जितेन्द्र मांझी वगैरह पिता- बिरबल मांझी वो	2824	2807	2822	2823

						दुर्गा प्रसाद मांझी वगैरह पिता— मोती लाल मांझी वो टिकाराम मांझी पिता— भादो मांझी वो सर्वेश्वर मांझी वगैरह पिता— लालु मांझी वो पार्वती देवी पति— शंकर मांझी				
कुल रकवा					1.3800					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की परियोजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारीबोकारो..... के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सके। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारीबोकारो..... और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बोकारो..... के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।

ह0—
समाहर्ता,
बोकारो।